रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072020-220544
CG-DL-E-15072020-220544

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2020/आषाढ़ 24, 1942
No. 167] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2020/ASADHA 24, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2020

सं.13/2015–2020

विषयः पावर टिलर्स के आयात प्राधिकार पत्र के आवंटन हेतु प्रक्रिया।

फा.सं. 01/89/180/48/एएम–13/पीसी–2 [क]/ई–5928–विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 2.04 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा दिनांक 15.07.2020 की अधिसूचना सं. 19/2015–20 के अनुसार पावर टिलर्स (एचएस कोड 8432 8020 और 8432 9090) के आयात पर लगाए गए प्रतिबंध के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को निम्नानुसार अधिसूचित करते हैः

<u>आयात हेतु प्राधिकार पत्रों को जारी करने हेतु शर्तें एवं तौर–तरीके</u>

क. एक वर्ष में किसी फर्म/सभी फर्मों को जारी किए गए प्राधिकार पत्र का संचयी मूल्य उस फर्म/फर्मो द्वारा पिछले वर्ष अर्थात 2019–20 के दौरान आयात किए गए पावर टिलर के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा पावर टिलर के पूर्ज़ों के लिए भी लागू होगी।

ख. आवेदक कम से कम तीन साल के लिए इस व्यापार में होना चाहिए और उसने पिछले तीन वर्षों में कम से कम सौ पावर टिलर बेचे हो।

ग. आवेदक के पास आयात किए जाने वाले पावर टिलर के सम्बन्ध में एफएमटीटीआई से पैध प्रकार (आईसीटी)/बैच टेस्ट रिपोर्ट के साथ–साथ उत्सर्जन जांच अनुमोदन और सीएमवीआर होने चाहिए।

घ. आवेदक के पास प्रशिक्षण, बिक्री के बाद सेवा और कलपुर्जे हेतु संतोषजनक और सिद्ध अवसंरचना होनी चाहिए।

ड. पावर टिलर या इसके पूर्ज़ों के आयात हेतु आयात प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन करने हेतु केवल विनिर्माता ही पात्र हैं।

च. पावर टिलर, जिनका आयात किया जाना है को आईएसः 13539 के तहत समय–समय पर यथा अधिसूचित सभी विनिर्देशों या इनसे उच्चतम विनिर्देशों को पूरा करना चाहिए।

सार्वजनिक सूचना का प्रभावः पावर टिलर और इसके पुर्ज़ों (एचएस कोड 8432 8020 और 8432 9090) के आयात पर लगाए गए प्रतिबंध के कार्यान्वयन हेतु प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 15th July, 2020

No. 13/(2015-2020)

Subject: Procedure for allocation of import authorization of Power tillers.

F.No. 01/89/180/48/AM-13/PC-2[A]/E-5928.— In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020 read with Paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby notifies the procedure to implement the restriction imposed on import of Power Tillers (HS code 8432 8020 and 8432 9090) as per Notification No. 19/2015-2020 dated 15.07.2020, as under:

<u>Conditions and modalities for issuance of authorizations for import</u>

a. The cumulative value of authorization issued to any firm/all firms in a year would not be exceeding 10% of the value of power tillers imported during the past year i.e 2019-20 by that firm/firms. The cap of 10% would also be applicable for components of power tillers.

b. The applicant should have been in the business for at least three years and should have sold a minimum of one hundred power tillers in the past three years.

c. The applicant should have the valid Type (ICT) /batch test report from FMTTI as well as emission test approval and CMVR of the power tiller sought to be imported.

d. The applicant should have satisfactory and proven infrastructure for training, post sales service and spare parts.

e. Only manufacturers are eligible for applying for an import authorization for import of Power Tiller or its components.

f. The Power Tiller which will be imported should meet all the specifications as notified from time to time under IS: 13539 or higher than these specifications.

Effect of this Public Notice: Procedure to implement the restriction imposed on import of Power tillers and its components (HS code 8432 8020 and 8432 9090) is notified.

This issues with the approval of the competent authority.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade &
Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.07.15 21:58:29 +05'30'